मेहनतकशों का पैग़ाम

मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक

Email : mazdoormorcha1987@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

- ईएसआई मेडिकल कॉलेज अस्पताल: संघर्ष से बहुत सुधरा, कमियां भी बरकरार 3
- भगवान भरोसे चल रही है डबुआ कालोनी की डिस्पेंसरी 4
- राजसमंद के शंभूलाल रैगर तो पीएम मटेरियल से कम नही 5
- नगर निगम का है नारा लूटना खाना है अधिकार हमारा 8

वर्ष 31 अंक 4 फरीदाबाद 1-15 जनवरी 2018 फोन : - 9999595632 ₹ 2

जब सीपी हो ताबेदार, तो क्या कर पायेगा बेचारा थानेदार

मामा श्री की खनन लूट का भेद खुलवाने वाले एसएचओ तिगांव का तबादला

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो फ़रीदाबाद

स्थानीय सांसद एवं केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल गूजर के मामा श्री राजपाल के आदेश पर इन्सपेक्टर भीम सिंह को एसएचओ तिगांव लगाया गया था; इसलिये कि वह उसके लूट करोबार को संरक्षित रखे। लेकिन जब वह अनचाहे इस काम में विफ़ल हो गया तो मामा श्री ने झट से उसको लाइन हाजिर करने का आदेश जारी कर दिया, जिस पर सीपी हनीफ़ कुरैशी ने भी तुरंत अंगूठा टेक दिया।

घटनाक्रम 14 दिसम्बर की रात यूं ही बन पड़ा। थाना तिगांव का एएसआई प्रेम सिंह टीम के साथ रात की गश्त पर निकला था। उसने यमुना की ओर से रेती से भरी ट्रैक्टर ट्रालियां आती देखीं। इशारा करने पर वे रूकी भी नहीं। इस पर प्रेम सिंह उस घाट पर जा पहुंचा जहां से वे ट्रालियां भर-भर कर आ रही थीं। वहां मौजूद नचोली गांव के रोहित, मनोज, चीका (मनोज मांगरीया का चेला), गांव राजपुरा थाना भुपानी का अंकित और भारत कॉलोनी का मोनू मौजूद थे। इन लोगों ने पुलिस को देखते ही उन पर फ़ायरिंग शुरू कर

मामा श्री : सत्ता बना देती अनपढ़ को भी वकील

दी। बाद में इन से एक माऊजर पिस्टल, 4 कारतूस व दो भरी हुई मैगजीन बरामद हुईं।

ये पांचों भाड़े के बदमाश थे जिन्हें यमुना घाट से रेती निकालने वाले 'ठेकेदारों' पप्पू निवासी बागपत व गुरमीत निवासी जसोला ने रखा हुआ था। दोनों ठेकेदारों ने उत्तर प्रदेश सरकार से यमुना रेती निकालने का ठेका लिया हुआ है। इनके पास मौजूद दस्तावेज़ों के मुताबिक वे रेत का यह धंधा केवल उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में ही चला सकते हैं न कि हरियाणा में।

हरियाणा में अपना धंधा चलाने के लिये इन लोग़ों ने 7-8 दिसम्बर को मामा श्री से बात-चीत कर डील फ़ाइनल कर ली। उनके अनुसार फ़रीदाबाद के चार थानों-तिगांव, सदर बल्लबगढ, खेड़ी पुल व सेक्टर 31 की कुल मंथली तीन लाख रुपये, एसीपी तिगांव व डीसीपी बल्लबगढ के नाम की दो लाख रुपये, सीपी के नाम की 5 लाख व खुद मामा श्री की 10 लाख तय हो गयी। इस रकम में से कुल 7 लाख की पहली किश्त 10 दिसम्बर को मामा के हवाले कर भी दी गयी थी। उक्त मंथली के अलावा 5000 रुपये एसएचओ तिगांव व 5000 रुपये थाने के मुहर्रर, ड्राइवर व गनमैन के रोजाना देने भी तय करके भुगतान भी शुरू कर दिये गये।

पुलिस टीम पर फ़ायरिंग करने पर जब पुलिस ने उन्हें घेरने का प्रयास किया तब तक 5 गाड़ियां वहां से निकल भागने में कामयाब रहीं व एक आई 20 कार तथा एक मोटरसाइकिल मौके से पकड़ी गयीं।

पांचों बदमाशों, ठेकेदारों व मुनीम को पकड़ कर एएसआई प्रेम सिंह थाना तिगांव में ले आया। लेकिन मामा के गुंडा गिरोह की दहशत इतनी थी कि प्रेम सिंह व एसएचओ भीम सिंह ने पूरी घटना की सूचना अपने एसीपी बलबीर सिंह को दे दी और साथ-साथ सभी दोषियों को पूछताछ के लिये सीआईए चौकी सैक्टर 65 में ले आये। यहां पूरी 'सेवा' एवं कड़ी पूछताछ के दौरान गिरोह ने उपरोक्त राज उगल दिये। पुलिस छापे की सूचना तुरंत मामा श्री को भी हो गयी थी। सूचना पाते ही उसने तुरन्त एसएचओ तिगांव भीम सिंह को फ़ोन लगाया जो उसने जानबूझ कर नहीं उठाया, क्योंकि वह जानता था कि मामा केस को रफ़ा-दफ़ा करने को कहेगा और एएसआई प्रेम सिंह की बिफ़री टीम उसे ऐसा करने नहीं देगी। इसलिये उसने मामा का फ़ोन न उठाना ही बेहतर समझा। यहां गौरतलब यह है कि यदि मामा के दबाव में किसी तरह भी यह केस वहीं थाना स्तर पर ही रफ़ा-दफ़ा हो जाता तो सीआईए वाली पूछताछ न हुई होती और एसीपी बलबीर सिंह के सामने मामा द्वारा की गयी डील का सारा भेद न खुलता, जिसके बाबत तुरंत सीपी को भी अवगत करा दिया गया था। बस इसी खुंदक में मामा श्री ने भीम सिंह को लाइन हाजिर करने का फतवा जारी कर दिया था।

इतना सब होने के बावजूद भी पुलिस ने इस मामले को महज भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379, 188, 285 व 120 बी तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25, 54/59 के तहत मुकदमा नं. 228 में दर्ज किया जबकि इसमें हत्या प्रयास और डकैती की कड़ी धारायें लगनी चाहियें थीं। धारा 285 मात्र हवाई फ़ायर के लिये व 379 चोरी के लिये होती हैं; जबकि गिरोह ने रेत की लूट की थी और पुलिस के काम में बाधा डालने के लिये उन पर फ़ायर किया था।

आये दिन होने वाली इस तरह की घटनाओं से जनता को समझ लेना चाहिये कि उनकी सेवा के नाम पर वोट मांग कर सत्ता में आने वाले लोगों का असली उद्देश्य एवं धंधा क्या है। जो यमुना रेत कुदरत ने मुफ़्त दिया है उस पर जनता द्वारा 'चुनी' गयी सरकार ने कब्ज़ा करके अपने गुर्गों की लूट-कमाई का साधन बना दिया है। मंत्री गूजर के मामा श्री मौजूदा मामले में लूट के षडयंत्र में शामिल थे जबकि उनका सफेदपोश चोला अब भी सलामत है।

जो पुलिस जनता के जान-माल की सुरक्षा एवं कानून- व्यवस्था को बनाये रखने को बनी है और जिस पर जनता का बेतहाशा पैसा खर्च हो रहा है वह केवल राजनेताओं की जरखरीद लौंडिया बन कर रह गयी है। इसके बावजूद प्रेम सिंह जैसा एक एएसआई भी पुलिस का वकार साबित करने के लिये काफ़ी होता है।

नीमका जेल में कुशासन, शिकार बनते बंदी

बल्लबगढ (म.मो.) जेल सुपरिंटेंडेंट अनिल कुमार लूट कमाई में इतना व्यस्त रहता है कि उसे इस बात का ध्यान रेखने की फुर्सत नहीं कि जेल में बंद बंदियों के साथ हो क्या रहा है। सारा जेल स्टाफ़ उसने अपनी लूट कमाई बढाने पर लगा रखा है।

दिनांक 16 दिसम्बर (शनिवार) रात के करीब पौने ग्यारह बजे बैरक नम्बर 3 की 4 में बंद ओमबीर नामक एक बंदी की तवियत बहुत बिगड़ गयी; शायद मिर्गी का दौरा पड़ा था। उसके हालात को देखते हुए बैरक के नम्बरदार (निगरान)नें नियमानुसार घंटी बजाई, लगातार कई बार बजाई। कोई सुनवाई नहीं होने पर बैरक में बंद बीसियों बंदियों ने एक साथ मिल कर आवाजें लगाई लेकिन कोई सुनवाई नहीं।

यह सारा शोर-शराबा सुन कर, पास में ही स्थित, वाच-टावर के संतरी ने भी ड्योढी को संदेश दिया लेकिन कोई भी पीड़ित बंदी की मदद एवं इलाज के लिये बैरक तक नहीं पहुंचा। ओमबीर रात भर तड़पता रहा, बैरक में मौजूद तमाम बंदी रात भर उसकी देख-भाल करते व हाथ-पांव मलते रहे।

नियमानुसार रात में 4-4 बैरकों के बीच में एक वार्डर की डयूटी रहती है जो किसी भी आपात स्थिति में आवश्यक कार्यवाही करता है। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर को बुलायेगा या बंदी को डॉक्टर के पास लेकर जायेगा आदि-आदि। बैरकों में लगी घंटी इतनी ज़ोर से बजती है कि आस-पास की 4-4 बैरकों के अलावा दूर वाली दूसरी बैरकों को भी सुनती है।

सुबह जब पूरे मामले की सूचना जेलर तक पहुंची तो उसने मामले को गंभीरता से लेने की बजाय लीपा-पोती करके मामला दबा दिया। यह भी हो सकता है कि रात में वहां कोई वार्डर तैनात ही न किया गया हो, वहां ड्यूटी की बजाय वह कहीं और ही ड्यूटी पर लगा रखा हो।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ओमबीर इस बीमारी का पुराना मरीज़ है। जेल अस्पताल में न तो कोई डॉक्टर किसी काम का है और न ही वहां दवाइयां किसी काम की उपलब्ध होती हैं। जेल में मौजूद दो-ढाई हज़ार बेदियों के लिये मात्र 2000 रुपये प्रति दिन यानी 60000 रुपये मासिक ही दवाओं के नाम पर आते हैं, उनका भी कितना सद्उपयोग होता है, यह जांच का विषय है। अपने इलाज के लिये ओमबीर ने कई बार बाहर से इलाज कराने की गुहार लगाई लेकिन इसके लिये उसे कभी जेल से बाहर नहीं भेजा गया जबकि पुलिस गार्ड के साथ इलाज के लिये बाहर भेजने का प्रावधान है।

इस तरह का अमानवीय व्यवहार के चलते जेल में जब भी कोई मर जाता है तो पूरी जेल में कर्फ्यू लगा कर मृतक को गाड़ी में डालकर बीके अस्पताल लाया जाता है जहां डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं और जेल अधिकारी उसे अस्पताल लाते वक्त रास्ते में मरा दिखा कर अपना पिंड छुड़ा लेते हैं।

जब जेलर खुद भ्रष्टाचार की गंगा में गोते लगा रहा हो तो थोड़े बहुत दाल-दलिये का जुगाड़ तो छोटे कर्मचारी भी करेंगे ही। वे कभी बीड़ी बेचेंगे, कभी सुल्फ़े की सप्लाई करेंगे तो कभी मोबाइल फ़ोन अथवा कोई भी प्रतिबंधित वस्तु बंदियों तक पहुंचायेंगे। फ़िर इन्हीं वस्तुओं को बंदियों से पकड़ कर छोड़ने के एवज में वसूली भी करेंगे।

परिजनों की कैदियों से मुलाकात का धंधा भी जेल में ठीक-ठाक चलता है। जेल की ड्योढी में आमने-सामने व साथ-साथ बैठ कर मुलाकात के लिये या तो मोटी सिफ़ारिश हो या जेलर को 5 से 10 हज़ार की भेंट चढाई जाय। इसी से प्रेरित छोटे मुलाजिम रूटीन मुलाकात करने वाले साधारण परिजनों से कुछ न कुछ झटक लेना अपना हक समझते हैं। साधारण मुलाकात के दौरान बीच में शीशे की दिवार होती है तथा बात-चीत इन्टरकॉम (टेलिफ़ोन) के जरिये होती है। इस मुलाकात के लिये मुलाकाती की हैसियत के अनुसार 100 से 1000 रुपये तक कुछ भी वसूला जा सकता है।

अपने भ्रष्ट एवं घटिया, चरित्रहीन जेलर से प्रेरित कोई घटिया जेलकर्मी मुलाकात को आई महिला की इज्जत तक लूटने से गुरेज नहीं करता। यह हादसा दिनांक 26 दिसम्बर को इस जेल से मुलाकाती कक्ष के बाहर हो चुका है जिसकी एफआईआर 691 थाना सदर बल्लबगढ में दर्ज है। सवाल यह है कि एक छोटा मुलाजिम ऐसी नीच हरकत क्यों न करे जब उसका जेलर

शेष पेज दो पर

सरकार की लापरवाही से खडंहर में तब्दील हो रहे हैं गरीबों के फ़्लैट

फ़रीदाबाद।(म.मो.) झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए फ़्लैट बनाने के नाम पर तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने तो आम जनता के खून पसीने की कमाई पर डाका मारा ही हैं अब वर्तमान में भाजपा सरकार की लापरवाही के कारण जहां यह फ़्लैट खडंहर में तब्दील हो रहे है। इसके साथ ही फ़्लैट झुग्गी में रहने वाले लोगों को अलॉट न होने के कारण नगर निगम की जमीनों से कब्जे भी नहीं हट पा रहे है।

जानकारी के मुताबिक जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिन्यूल मिशन के तहत नगर निगम ने झुग्गी बस्तियों में रहने वाले गरीब तबके के लोगों को अपना घर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से फ़्लैट बनाने की योजना बनाई थी। इन फ़्लैटों को बना कर देने का उदेश्य निगम की बेशकमीती जमीनों से कब्जे हटवाना भी था। इसके तहत निगम ने एनआईटी इलाके की डबुआ कॉलोनी और बल्लभगढ़ के बापू नगर में स्थित अपनी जमीन पर फ्लैट तैयार करने की योजना बनाई थी। नगर निगम ने वर्ष 2006 में इन फ़्लैटों के निर्माण का काम शुरू भी कर दिया गया था। यह कार्य निगम को वर्ष 2011 तक पूरा करना था। निश्चित समय पर निगम ने डबुआ कालोनी में 38 करोड़ 96 लाख रुपये की लागत से 1968 फ़्लैट और बापू नगर में 25 करोड़ 27 लाख रुपये की लागत से 928 मकान बना कर तैयार कर दिए। लेकिन निर्माण कार्य पूरा होने के बावजूद न जाने किन कारणों से निगम फ़्लैटों को अलॉट करने में आनाकानी करती रही है। वर्ष 2011 में निगम ने लक्कड़पुर से अवैध कब्जे हटाने के लिए 202 परिवारों को डबुआ कालोनी में और 149 परिवारों

शेष पेज दो पर